

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी  
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY  
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)  
हैदराबाद : Hyderabad- 500 052.

Inter Office Note

**Subject: Notified Recruitment Rules – Regarding**

A copy of notified Recruitment Rules for the following posts are enclosed herewith for uploading the same on the Academy Website under “Recruitment Rules” column please.

- a. Wireless Operator
- b. Junior Engineer (Electronics)
- c. Senior Scientific ~~Assistant~~
- d. Photographic Officer
- e. Painter cum Artist
- f. Administrative Officer Grade-II
- g. Junior Scientific Officer

  
(Dr. K P A Ilyas)  
Asstt. Director (Estt)

Asstt. Director (IT)

No. 19011/1/2009/Estt/RRs/A-5

Dated: 24 .12. 2020

**Internal**

A1, A2, A3 and B-2 : To fill up the vacant posts as per the method of recruitment.

<p>(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience;</p> <p>(i) Bachelor Degree from recognised university or Institution; and</p> <p>(ii) three years experience in administration, establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or autonomous body or statutory body or recognised university or research institute.</p> <p><b>Note 1:-</b> The departmental Administrative Officer Grade-III in Level-7 of the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years of regular service in the Grade and having the educational qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with the outsiders and in case departmental Administrative Officer Grade-III selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:-</b> The maximum age-limit for deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.</p>	<p>[ F.No.23011/30/2018-PT] D. K. GHOSH, Under Secy.</p>
---	--

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

**सा.का.नि. 177.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 हैं।  
(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 4. निरर्हता.— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

## 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

## 6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-ख राजपत्रित, अननुसूचित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (₹.44,900-1,42,400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी हैं )

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति(जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी हैं ) - (अ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी : (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारक किया हो ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 ( 35400-112400 रु.), के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और (ब) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो ;	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

56171/2020/O/o AD(ESTT.)

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : दिसम्बर 5, 2020/अग्रहायण 14, 1942

1101

<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फोरेन्सिक विज्ञान या भौतिकी या रसायन विज्ञान या विष विज्ञान या जन्तु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या डीएनए और सीरोलॉजी में मास्टर डिग्री ।</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त अकादमिक संस्थान या प्रशिक्षण संस्थान या अकादमी में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।</p> <p>(iii) कम्प्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान ।</p> <p><b>वांछित :</b></p> <p>(i) उपरोक्त वर्णित सुसंगत विषय में पीएचडी ।</p> <p>(ii) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में केन्द्रीय फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला या पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय या फोरेन्सिक विज्ञान विभाग में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव ।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी हैं ) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>		
---	--	--

[फा.सं. 23011/61/2018-पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

**G.S.R. 177 .—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Junior Scientific Officer) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Scientific Officer in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Junior Scientific Officer) Recruitment Rules, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**— The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,-  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Scientific Officer	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-B, Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation (including short-term contract)-</b></p> <p>(a) Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertaking or Universities or Recognised Research Institutes:</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in posts in level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400/-), and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience;</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master Degree in Forensic Science or Physics or Chemistry or Toxicology or Zoology or Zoology or Botany or Bio-Chemistry or Biology or DNA and Serology from a recognised University.</p> <p>(ii) three years teaching experience in recognised Academic institution or training institution or Academy.</p> <p>(iii) working knowledge of computers.</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

56171/2020/O/o AD(ESTT.)

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : दिसम्बर 5, 2020/अग्रहायण 14, 1942

1103

<p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) Ph. D. In the relevant subject mentioned above.</p> <p>(ii) Two years working experience in Central Forensic Science Laboratory or State Forensic Science Laboratory or Police training Collage or Forensic Science department in any recognised University.</p> <p><b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The maximum age-limit for deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.</p>		
--	--	--

[F.No. 23011/61/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में प्रभागीय लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: